

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1159 / 2013

संस्थित दिनांक-11.12.2013

फाईलिंग क्र.234503002272013

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

1-श्यामलाल पिता कृपालसिंह उइके, उम्र-33 वर्ष, जाति गोंड,  
 2-धनवतीबाई पति सुरेन्द्र पन्द्रे, उम्र-33 वर्ष, जाति गोंड,  
 3-रामप्यारीबाई पत्नी श्यामलाल उइके, उम्र-27 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-20/03/2018 को घोषित)

1- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 05.11.2013 को समय 10:00 बजे रात्रि में ग्राम मोहगांव थाना परसवाड़ा अंतर्गत अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आहत चंद्रबतीबाई को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत चंद्रबतीबाई को चाकू जैसी स्टील पत्ती एवं बांस की लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चंद्रबतीबाई ने पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह दिनांक-05.11.2013 को रात्रि 10:00 बजे उसके आंगन में खड़ी थी, तब फरियादिया की नातन उषाबाई गांव की तरफ से आई थी, तब फरियादिया ने डांटकर उससे कहा था कि कहां से आ रही हैं। उसको डांटा फटकारा था तब गांव तरफ से फरियादिया की बहु धनबतीबाई उसके मायके के घर तरफ से आई थी एवं फरियादी को ऐसी की तैसी कहकर लाठी से मारपीट करने लगी थी। जिससे फरियादी की जांघ में चोट आई थी। उसके बाद अभियुक्त श्यामलाल उइके एवं उसकी पत्नी अभियुक्त रामप्यारी उइके आए थे एवं लाठी और चाकू जैसी नुकीली वस्तु से फरियादिया

के बाएं हाथ में मारपीट की थी। जिससे उसे खून निकलने लगा था। फिर फरियादिया को आंगन में गिराकर मारपीट करने लगे थे। फरियादिया के चिल्लाने पर गांव का जगन खोब्रागड़े आया था, तब तीनों भाग गए थे। पुलिस ने फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-75/2013 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

3- अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 05.11.2013 को समय 10:00 बजे रात्रि में ग्राम मोहगांव थाना परसवाड़ा अंतर्गत अन्य आरोपी के साथ मिलकर आहत चंद्रबतीबाई को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत चंद्रबतीबाई को चाकू जैसी स्टील पत्ती एवं बांस की लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

### विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- चंद्रबतीबाई अ.सा.01 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की दीपावली के समय की रात्रि के 9:00 बजे की है। अभियुक्तगण उसके रिश्तेदार हैं। घटना दिनांक को साक्षी ने उसकी बहु धनबतीबाई से त्यौहार के कारण आग जलाने का कहा था। उस समय धनबतीबाई शराब पी हुई थी। धनबतीबाई ने साक्षी से कहा था कि तेरी ऐसी की तेसी मादरचोद आग जलाने की बोलती है। तब साक्षी ने कहा था कि ऐसा क्यों बोलती है तब धनबतीबाई ने साक्षी को आकर धकेल दिया था जिससे वह गिर गयी थी। उसके बाद धनबतीबाई ने उसके भाई को आवाज दी थी।

धनबतीबाई की आवाज सुनकर अभियुक्त श्यामलाल एवं उसकी पत्नी रामप्यारी आ गये थे। अभियुक्त श्यामलाल चाकू लाया था। श्यामलाल ने चाकू से साक्षी की बाएँ हाथ की अंगुली के मध्य में मार दिया था चाकू लगने से साक्षी को खून निकलने लगा था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में की थी। पुलिस को साक्षी ने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे।

7— जगन्नाथ खोब्रागडे अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्तगण एवं आहत को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की दीपावली के समय की रात्रि की आठ बजे की है। घटना के समय वह जब मढ़ई से वापस आया था उस समय अभियुक्तगण एवं फरियादिया चंद्रबतीबाई का विवाद चंद्रबतीबाई के घर पर हो रहा था। साक्षी ने गली में आकर उनसे कहा था कि हल्ला क्यों कर रहे हो इतना कहकर साक्षी उसके घर चला गया था। दूसरे दिन चंद्रबतीबाई ने साक्षी को बुलाकर बताया था कि अभियुक्त श्यामलाल ने चाकू से उसकी अंगुली के बीच में मार दिया था। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने चंद्रबतीबाई के साथ मारपीट होते हुए देखने से इंकार किया है। साक्षी ने प्र.पी.01 के पुलिस कथन का क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्तगण ने चंद्रबतीबाई के साथ मारपीट नहीं की थी। घटना के समय साक्षी चंद्रबतीबाई के घर पर नहीं गया था।

8— कु. ऊषा अ.सा.03 ने साक्ष्य दी है कि घटना के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व रात्रि दस बजे जब वह पड़ोस से टी.व्ही. देखकर वापस आयी थी तो उसकी दादी चंद्रबतीबाई ने साक्षी से डांटफटकार कर कहा था कि इतनी रात में साक्षी कहां से आ रही है। साक्षी ने प्र.पी.02 के पुलिस कथन का अ से अ भाग पुलिस को देने से इंकार किया है।

9— सुरेन्द्र अ.सा.04 ने साक्ष्य दी है कि चंद्रबतीबाई उसकी मां है। साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी थी। जब वह बाद में आया था तब उसने आहत चंद्रबतीबाई के हाथ में चोट देखी थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सभी सुझावों को अस्वीकार किया है एवं पुलिस को प्र.पी.03 का पुलिस कथन देने से इंकार किया

है।

10— हरीश कुमार मरकाम चिकित्सक अ.सा.07 का कहना है कि वह दिनांक 06.11.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। चिकित्सक ने उनके मुख्य कथन में आहत को चार चोटे होने की साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि आहत पथरीली जगह पर गिरे तो उसे ऐसी चोट आ सकती थी।

11— रवनसिंह उईके अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 06.11.2013 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक मोहररि के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को चंद्रबतीबाई ने थाना परसवाड़ा में आकर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी कि दिनांक 05.11.2013 को रात्रि 10:00 बजे वह अपने घर पर खड़ी थी तभी अभियुक्तगण आये थे उसे लाठी चाकू जैसे नुकीले हथियार से मारा था जिससे उसके बाए हाथ में चोट लगकर खून निकलने लगा था। वह चिल्लाई थी तो जगन्नाथ खोब्रागड़े आया था उसे देखकर अभियुक्तगण भाग गए थे। साक्षी ने फरियादिया के बताए अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-75/13 की रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी। आहत का मुलाहिजा फार्म भरकर उसे स्वास्थ्य केन्द्र परसावाड़ा भेजा था।

12— कुंजन तेकाम अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 06.11.2013 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादिया चंद्रबतीबाई की मौखिक रिपोर्ट पर से प्रधान आरक्षक रवनसिंह ने अपराध क्रमांक-75/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दिनांक 07.11.2013 को साक्षी को उक्त अपराध की केस डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त होने पर साक्षी ने फरियादिया की निशांदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण के कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। दिनांक 12.11.2013 को अभियुक्त श्यामलाल से एक स्टील के चाकू जैसी स्टील की पत्ती प्र.पी.05 के जप्ती पंचनामा द्वारा एवं अभियुक्त रामप्यारीबाई, धनबंतीबाई से क्रमशः प्र.पी.06 एवं 07 के जप्ती पंचनामा द्वारा एक बांस की लकड़ी जप्ती की थी। अभियुक्तगण को प्र.पी.08 लगा. 10 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। प्र.पी.05 लगा.07 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.08 लगा.10 के गिरफ्तारी पंचनामा पर साक्षी के क्रमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.04 के मौकानक्शा, प्र.पी.05 लगा. 07 के जप्ती पंचनामा उसने थाने में



बैठकर बनाए थे।

13— उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। जगन्नाथ खोब्रागड़े अ.सा.02, कु.उषा अ.सा.03, सुरेन्द्र अ.सा.04 ने उनके मुख्य कथनों में घटना के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। उक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण के प्रश्नों के उत्तर में घटना के संबंध में सार्थक साक्ष्य नहीं है। इसलिए तीनों साक्षीगण की साक्ष्य से चंद्रबतीबाई अ.सा.01 के कथन की पुष्टि नहीं होती है।

14— चंद्रबतीबाई अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में केवल अभियुक्त श्यामलाल घटना के समय चाकू लाया था और साक्षी के बाए हाथ की अंगुली के मध्य भाग में चाकू से मार दिया था बताया है। साक्षी ने अभियुक्त रामप्यारीबाई एवं धनबतीबाई द्वारा अपराध किए जाने का कथन नहीं किए हैं। साक्ष्य के अभाव में उक्त दोनों महिला अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त श्यामलाल को अपराध कारित करने हेतु सहयोग करने अथवा उत्प्रेरित करने एवं उकसाने का सामान्य आशय नहीं था, तीनों अभियुक्तगण का सामान्य आशय था ऐसी साक्ष्य नहीं है। इसलिए धारा-324/34 भारतीय दण्ड विधान का अपराध अभियुक्त रामप्यारीबाई एवं अभियुक्त धनबतीबाई के विरुद्ध प्रमाणित नहीं है।

15— चंद्रबतीबाई अ.सा.01 ने अभियुक्त श्यामलाल द्वारा चाकू से मारने के बारे में बताया है। साक्षी ने घटना के बाद थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी के मुख्य कथन के अनुसार उसकी बाए हाथ की अंगुली में केवल एक चोट आयी थी जो अभियुक्त श्यामलाल द्वारा पहुंचाई गई थी।

16— चिकित्सक हरीश मसराम अ.सा.07 ने उनके मुख्य परीक्षण में आहत चंद्रबतीबाई को उपरी होट पर बायीं जांघ के घुटने के उपर बाहरी तरफ, बाए हाथ की छोटी अंगुली एवं रिंग फिंगर के मध्य भाग में, बाए हाथ के रिंग फिंगर पर मध्य भाग में धारदार हथियार से चोट होने के कथन किए हैं। चिकित्सक साक्षी के अनुसार आहत को चार चोट थीं। चंद्रबतीबाई अ.सा.01 ने उसकी तीन चोटों के संबंध में किसी भी अभियुक्त पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत के जैसी चोटे पथरीली जगह पर गिरने से आ सकती हैं। इस संभावना से यह स्पष्ट है कि आहत के शरीर पर पाई गई चोटें गिरने से आ सकती हैं। परंतु घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जगन्नाथ खोब्रागड़े अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त श्यामलाल ने फरियादिया के साथ चाकू से मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई थी। यदि

अभियुक्त श्यामलाल फरियादिया के साथ चाकू से मारपीट करता तो उसके परिवार के सदस्य भी अवश्य यह बताते कि अभियुक्त श्यामलाल ने फरियादिया के साथ चाकू से मारपीट की थी। परंतु फरियादिया के परिवार के किसी सदस्य ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त श्यामलाल ने फरियादिया के साथ चाकू से मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जगन्नाथ खोब्रागड़े द्वारा फरियादिया की साक्ष्य एवं उसकी उपहति का समर्थन नहीं करने के कारण अभियुक्त श्यामलाल द्वारा फरियादिया के साथ चाकू से मारपीट किया जाना संदिग्ध दर्शित होता है।

17— इस प्रकार अभियुक्त श्यामलाल के विरुद्ध भी धारा-324/34 भारतीय दण्ड विधान का अपराध चिकित्सक साक्षी के कथन के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण रामप्यारीबाई, धनबतीबाई के विरुद्ध धारा-324/34 भारतीय दण्ड विधान का अपराध साक्ष्य के अभाव के कारण प्रमाणित नहीं होने से उन्हें धारा- 324/34 भारतीय दण्ड विधान के आपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त श्यामलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से संदेह का लाभ देकर अभियुक्त श्यामलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

19— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक स्टील के चाकू जैसी स्टील की पत्ती जिसकी लम्बाई 10 सेमी., दो नग बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट म.प्र.

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट म.प्र.